

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 233/2014/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स ग्लोबल पॉवर ईक्यूपमेंट,  
टॉक रोड़, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 348/अपील्स-III/आरवैट/जयपुर/2012-13 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी विभाग ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा कायम मांग राशि रुपये 1,18,360/- को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 16.12.2012 को वाहन संख्या आरजे 14जीई 3059 को एन.एच. 8 पर रतनपुर, जिला डूंगरपुर के पास रोक कर चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी से परिवहनित माल डी.जे. सैट्स के संबंध में वक्त जांच वैट-47 संलग्न नहीं पाया गया जो कि धारा 76(2) रा.मू.प.क.अ., 2003 सपटित नियम रा.मू.प.क.अ., 2006 के नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। अपीलार्थी व्यवहारी को धारा 76(6) रा.मू.प.क.अ., 2003 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 1,18,360/- आरोपित की गई। जिसे इस अपील के द्वारा विवादित किया गया है।

3. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी पर शास्ति का आरोपण किया गया है। वक्त जांच समस्त वांछित दस्तावेजात यथा बिल, बिल्टी एवं चालान आदि जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डी.जे. सैट्स को विद्युत उपकरण मानने में गलती की है।

लगातार.....2

डी.जी. सैट्स बिजली के सामान की परिधि में नहीं आता है, बल्कि यह बिजली उत्पादन के कार्य में आता है। जिस पर वैट-47 प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जैसाकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स दौलत मोटर एजेन्सीज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर (2001) 10 सैल्स टैक्स टूडे 136 में निर्धारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किये बगैर एवं अपीलार्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किये बगैर, अपीलार्थी पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो अविधिक है। जांच अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर भी कोई गौर नहीं किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई जो अनुचित एवं अविधिक है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-बी, अलवर बनाम आर.ई.बी.आई. कार्स्टिंग प्रा.लि., भिवाड़ी एण्ड अदर्स निर्णय दिनांक 01.08.2013 का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर अपूर्ण दस्तावेजों के जरिये माल परिवहन करने के कारण शास्ति आरोपण किया गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सभी दस्तावेज सही हैं और उनको जांच अधिकारी द्वारा बोगस एवं मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है न ही कोई करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किया गया है।

5. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डी.जी. सैट्स को विद्युत उपकरण मानते हुये वैट-47 की आवश्यकता मानते हुये करारोपण किया गया है जो विधिक नहीं है जैसाकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स दौलत मोटर एजेन्सीज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर (2001) 10 सैल्स टैक्स टूडे 136 में अभिनिर्धारित किया है कि :-


“ 64 एसटीसी 25 (मद्रास) ईस्ट एशियाटिक कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू में मोटर जेनरेटर को बिजली के सामान की परिधि में नहीं माना गया। इसी प्रकार 92 एस.टी.सी. 311 (इलाहबाद) कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम सरन खाण्डसारी उद्योग में यह सिद्धन्त प्रतिपादित किया गया है कि जेनरेटर बिजली की मशीनरी नहीं है। इसी प्रकार 82 एस.टी.सी. 457 (मद्रास) नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जेनरेटर के माध्यम से यांत्रिकी शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार 92 एसटीसी 313 (मद्रास) स्टेट ऑफ तमिलनाडू बनाम एसोसियेटेड इंजीनियर्स में सबमर्सिबल इलेक्ट्रिकल पम्प को बिजली के सामान की परिधि में नहीं माना गया। इसी प्रकार 62 एसटीसी 267 देहली सिम्प्लिसिटी इंजीनियर्स बनाम कमिशनर में इलेक्ट्रिकल फर्निश को बिजली के सामान की परिधि में नहीं माना।

उपरोक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह स्पष्ट होता है कि जेनरेटर सेट बिजली के सामान की परिधि में नहीं आता बल्कि जेनरेटर सेट से बिजली उत्पादित किये जाने से व जेनरेटर सेट बिजली के सामान की परिधि में नहीं आने से अधिसूचनां दिनांक 27.06.1990 की प्रविष्टि 103 में आने से जेनरेटर सेट पर 10 प्रतिशत देय है।”

इसके अलावा वर्तमान में भी डी.जी. सेट पर schudele 4 में कर योग्य है जबकि इलेक्ट्रिकल गुड्स Schudele 5 में कर योग्य है। इस प्रकार इसे इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में नहीं माना गया है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त वस्तु (डी.जी.सेट्स) अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है अतः इसके परिवहन के समय नियम 53 की प्रालना में वैट 47 की विधिक आवश्यकता नहीं थी अतः अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2013 की पुष्टि की जाती है। राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

  
मदन लाल मालवीय  
(सदस्य)